10.10.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष बहस द्वारा पूर्व में बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10,11,12 सीपीसी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी (प्रति संख्या–1) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10,11,12 सीपीसी दिनांक 17.02.2025 के संबंध में बहस प्रारम्भ कर कथन किए कि वादग्रस्त आराजी को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद बअनवान विक्रमजीत बनाम विनोद वगैरा प्रकरण संख्या 396/2018 को गुण–अवगुण पर दिनांक 13.04.2023 को पारित निर्णय एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 224/2023 अनवान मोहिनी देवी बनाम विक्रमजीत वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2025 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 4506/2025 अनवान मोहिनी देवी बनाम विक्रमजी सिह वगेरा विचाराधीन होने का कथन करते हुए फार्म नम्बर के साथ अपील की प्रमाणित प्रति मय दस्तावेज प्रस्तुत कर वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की कार्यवाही रेस्स ज्यूडीकेटा/प्राग न्याया में आने के कारण व विचारीधन वाद पत्र व अपील में पक्षकार व विषयवस्तु सारतः व प्रत्यक्षतः एक होने के कारण वाद पत्र वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नही है तथा ना उक्त वाद में अपील के पैंडिग रहते विधिवत कोई सुनवाई की जा सकती है इसलिए न्यायहित में उक्त अनवान के वादपत्र में कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रार्थी (वादी) ने जवाब बहस में कथन किए कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 10, 11, 12 सीपीसी की चरण संख्या 2 में वर्णित कथन मिथ्या, मनघड़ंत होने के कारण अस्वीकार हैं प्रतिवादी संख्या 1 विक्रमजीत सिह द्वारा एक वाद वाद संख्या 396/2018 माननीय न्यायालय सहायक कलैक्टर महोदय संगरिया के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जो कि संयुक्त परिवार की समस्त कृषि भूमि के संबंध में नही था तथा न ही प्रार्थीगण को उक्त दावा का कोई ज्ञान था। प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा प्रस्तुत दावा मोहिनी देवी वगैरा विरूद्ध विक्रमजीत सिह धारा 88,53 आरटीए का प्रस्तुत किया हुआ है जो सयुक्त परिवार की समस्त कृषि भूमि के संबंध में है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत दावा में सयुक्त परिवार की समस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में नही था तथा न ही प्रार्थीगण (वादीगण) को उक्त

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दावा का कोई ज्ञान रहा। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रार्थीगण (वादीगण) आपस में एक ही परिवार के मृतक हनुमान के वारिसान है। प्रार्थीगण (वादीगण) के पति/पिता विनोद पुत्र हनुमान की मृत्यु दिनांक 26.03.2021 हो चुकी थी। प्रार्थीगण (वादीगण) के पति/पिता विनोद पुत्र हनुमान की मृत्यु के अन्तिम क्रियाकलापों में प्रतिवादी संख्या 1 विक्रम भी शामिल रहा है प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थीगण (वादीगण) के पति/पिता का भलीभॉति ज्ञान होने के पश्चात भी माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए डिक्री करवा दी इसके संबंध में प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसका अनुसंधान जारी है। अतः प्रार्थना पत्र अ.आ.10, 11, 12 सीपीसी को मय खर्चा खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं प्रकरण हाजा एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन वाद की विषयवस्तु एवं पक्षकार समान होने के कारण न्यायहित प्रार्थना पत्र 10, 11,12 सीपीसी स्वीकारं किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अ.आ. 10,11,12 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
समरिया